

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर


शुमाराराग बनाम गोवर्धन कांड
 किस्म मुकदमा 9770 212 717 मु.नं. 137 वर्ष 2005

दिनांक	आज्ञा - पत्र
9/9/25	<p>वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों।</p> <p>अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 25.09.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धौद जिला सीकर</p>
25/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई/बकाल उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अधकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त, यात्रा पर/अन्य काम में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/11/25 को पेश हो</p>
24/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि० 28 ¹¹/₂₅ का पेश हो</p>
28/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि० 22 ⁰¹/₂₆ का पेश हो</p>
24.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली का आदेशानुसार दिनांक 09/12/25 को पेश हो</p>
09/12/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपर। पत्रावली वास्ते तलबी जरिये Reg. ad. डि० 29 ⁰⁴/₂₁ का पेश हो</p>
09/12/26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनु। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बाद-बाद धावाज लगेबाई गई। इतने के बावजूद</p>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सी

..... बनाम
 रामशराम गोवर्धन

किस्म मुकदमा मु.नं. 137/2025 वर्ष

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	<p>न्यायालय समय में सामकिल तब भी डक्टर में से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली इसी हद पर अहम पेंनी। अहम हानि में वारिस नियंत्रण के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फंसल शुमाद होकर काह तकमील वापिल वस्तु ही</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर </p>

